बनाम

वर्ष

मुकदमा —— मु. नं. ——

क	आज्ञा-पत्र
[illegible]	[illegible] ... को पेश हो।
10/[illegible]/19	पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/ यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक [illegible] को पेश हो।
[illegible]/19	[illegible] 16/[illegible]/19 को पेश हो।
[illegible]/8/19	पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/ यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9-9-19 को पेश हो।
[illegible]/19	पत्रावली पेश हुई आज अधिवक्ता संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते बहस फिक्स 30/9/19 को पेश हो।
[illegible]/19	पत्रावली आज प्रार्थिया पतासी देवी के आवेदन अ. धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को विड्रा किये जाने बाबत पेश होने पर पेशी में ली गई। उपस्थित प्रार्थिया पतासी देवी ने उक्त आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। प्रस्तुत आवेदन में कोई कार्यवाही नहीं चाहती हूँ। एवं उक्त आवेदन को आगे नहीं चलाना चाहती हूँ। इसलिए उक्त आवेदन को आज ही विड्रा करने के आदेश फरमावें। उपस्थित प्रार्थिया को सुना। प्रस्तुत आवेदन तथा सम्पूर्ण

मैं उक्त आवेदन में कोई कार्यवाही आगे नहीं चाहती हूँ।

अ.स. पतासी देवी

Scanned with CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया। अतः प्रार्थिया पतासी देवी के निवेदन पर प्रार्थिया का आवेदन अ. धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को विड्रा किये जाने बाबत को स्वीकार किया जाकर हस्तगत आवेदन को विड्रा किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। मूल वाद भी वादिया/प्रार्थिया के निवेदन पर विड्रा हो चुका है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुख्यालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner